

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2124 / 2010 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड तृतीय, रतनगढ़ चुरु
बनाम्

.....अपीलार्थी

मैसर्स भगवती कृपा पेपर मिल्स प्रा.लि।
ए-28, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 02.04.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी—विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 01/अपील्स-IV/08-09/सी में पारित आदेश दिनांक 04.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय रतनगढ़, चुरु (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 01.02.2008 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रूपये 74,480/- को अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.2008 को एक्सप्रेस हाईवे जयपुर चन्दावजी पर ट्रक नम्बर एचपी-12ए-9228 को रोक कर चैक किया गया। वाहन में लदे माल “पेपर रील” के सम्बन्ध में वाहन चालक सह—माल प्रभारी ने निम्न दस्तावेज जांच हेतु पेश किये गये :-

 1. अनिल रोडलाईन्स, हरमाडा की बिल्टी संख्या 2150 एवं 2151 दिनांक 29.01.2008 जयपुर से फरीदाबाद
 2. मैसर्स भगवती कृपा पेपर मिल्स प्रा.लि. कालाडेरा का वैट इनवाईस संख्या 860 एवं 859 दिनांक 29.01.2008 क्रमशः रूपये 84,545/- एवं रूपये 1,63,709/-।
 3. सशक्त अधिकारी द्वारा जांच में यह पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा “क्राफ्ट पेपर” कन्साईनमेंट सेल के रूप में “एफ” फार्म पर राज्य के बाहर भेजा जा रहा था। कन्साईनमेंट सेल्स पर जा रहे माल के दस्तावेजों में घोषणा प्रपत्र वैट-49 आवश्यक है, अतः अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपष्टित नियम 54 का उल्लंघन पाये जाने पर ट्रक को माल सहित निरुद्ध किया जाकर धारा 76(6) के तहत नोटिस जारी किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को अमान्य कर माननीय उच्चतम न्यायालय

३१

लगातार.....2

द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी सिविल अपील संख्या 5197 / 2005 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2007 का उद्धरित करते हुए, प्रत्यर्थी का करवंचना सम्बन्धी दोषी मनोभाव मानते हुए धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 54 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए परिवहनित माल की कीमत रूपये 2,48,254/- पर धारा 76(6) के तहत 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 74,480/- आरोपित की है। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 04.03.2010 द्वारा स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यक्ति होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी—विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि राज्य के बाहर परेषण आधार पर (on consignment basis) भेजे जाने वाले हर कर योग्य माल के संबंध में घोषणा पत्र वैट 49 परिवहनित माल के साथ होना अनिवार्य है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में माल दिनांक 30.01.2008 को चैक किया गया, उस समय कोई घोषणा पत्र माल के साथ में नहीं पाया गया था। तत्पश्चात् जो घोषणा पत्र प्रत्युत्तर के साथ पेश किया गया है वह विभागीय कार्यालय से ही दिनांक 31.01.2008 को जारी हुआ था, अतः प्रभावी रूप से दिनांक 30.01.2008 को कोई घोषणा पत्र अस्तित्व में ही नहीं था। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विडियोकोन इण्ड. लि. बनाम एसीटीओ (2014) 10 RGSTR 56 (RHC) के प्रकरण में दिये गये निर्णय को उद्धरित करते हुए बताया कि घोषणा पत्र "by mistake" पेश नहीं किये जा सकने की दशा में ही डी.पी. मेटल्स के निर्णय के प्रकाश में घोषणा पत्र स्वीकार किया जा सकता था, अतः अपीलीय अधिकारी ने सशक्त अधिकारी का आदेश अपास्त कर विधिक भूल की है। उन्होंने अपीलीय आदेश को विधि विरुद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि माल के परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट-49 साथ में नहीं था, परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ वांछित घोषणा पत्र एवं वैट-49 प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Rajasthan & Anr. Vs D.P. Metals (2001) 124 STC 611(SC) के प्रकरण में दिये गये निर्णय के आलोक में इसे स्वीकार किया जाना चाहिये था। प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में भी माल भेजा था जिसका इस माल सहित बहियात में नियमानुसार इन्द्राज किया गया तथा "एफ" फार्म भी प्रस्तुत किया था। उनका यह भी कथन है कि परिवहनित माल "क्राफ्ट पेपर" है तथा इसे सामान्यतया पैकिंग मैटेरियल माना जाता है, अतः व्यवहारी इस सद्विश्वास में था कि पैकिंग मैटेरियल पर किसी घोषणा पत्र की अनिवार्यता नहीं है। प्रत्युत्तर के साथ घोषणा पत्र पेश करने पर इसे स्वीकार किये जाने के संबंध में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक निर्णय भी उद्धरित किये :—

लगातार.....3

1. M/s Videocon Ind. Ltd. Vs. ACTO (2014) 10 RGSTR 56 (RHC)
 2. M/s Bajaj Rubber Co. Vs. ACTO SB STR No- 311/2008 D/o 09-04-2013
 3. M/s ITC Ltd Jaipur Vs. ACTO (2016) 13 RGSTR 40 (RTB-SB)
 4. M/s A.B.B. Ltd. Jaipur Vs. ACTO: (2016) 55 Tax World 16 (RTB-SB)
 5. ACTO Vs. Amtek Auto Ltd. Appeal No. 738/2016 D/o 13-09-2017
6. उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी की करवंचना की कोई मंशा नहीं थी, अतः सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्त योग्य है। उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
7. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल consignment basis पर राज्य के बाहर भेजा जा रहा था जिसका स्पष्ट उल्लेख प्रत्यर्थी द्वारा जारी बिलों में किया गया है। जांच के समय इसके साथ फॉर्म वैट-49 विद्यमान नहीं था परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ फॉर्म वैट-49 प्रस्तुत कर दिया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट 49 क्रमांक 0510346 तथा 0510347 विभागीय कार्यालय से ही दिनांक 31.01.2008 को जारी किये गये हैं। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि RVAT Rules, 2006 के नियम 54(1)(i) के अनुसार राज्य के बाहर विक्रयार्थ या ब्रांच ट्रांसफर/डिपो ट्रांसफर/स्टॉक ट्रांसफर हेतु भेजे जाने वाले माल (राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित माल के अलावा) के संबंध में परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट-49 साथ में होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित माल की सूची जिस पर कि घोषणा पत्र वैट-49 प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है, में शामिल नहीं है, अतः इसके परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट-49 साथ में होना अनिवार्य है।
8. प्रत्यर्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मै. डी.पी.मेटल्स के प्रकरण में दिये गये निर्णय को उद्धरित करते हुये बताया गया है कि उसके प्रत्युत्तर के साथ में घोषणा प्रपत्र वैट 49 प्रस्तुत कर दिये जाने पर विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना हो गई है तथा पूर्वोक्त विभिन्न न्यायाधिक निर्णयों में नोटिस के प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र को मान्य करना निर्णीत किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मै. डी.पी.मेटल्स के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी कारणवश घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो तो न्यायहित में इसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस निर्णयांश की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ACTO Vs. M/s. Power One Micro Systems (P) Ltd (2010) 29 VST 10 (Raj) के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 29.04.2009 में व्याख्या की गई है तथा यह निर्णीत किया है कि यदि जांच तिथि को निर्दिष्ट घोषणा पत्र अस्तित्व में ही नहीं रहा हो तो ऐसे मामलों में शास्ति आरोपण विधिसम्मत हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है :-

"Similarly, in D.P. Metals' case (supra), it has been held that the penalty is leviable under two circumstances. Firstly, if there was non-compliance of Section 78 (2) (a) of the said Act viz., it was not carrying the documents mentioned in that clause; secondly, if false or forged

लगातार.....4


documents are submitted, then, penalty under Section 75 is leviable. After analysing the situation, the apex Court held that in the case of submission of false or forged documents the authority is entitled to presume motive to mislead the authorities. However, in such cases that presumption was rebuttable by the assessee on producing the requisite documents referred to in Section 78 (2) (a). If, by mistake, some of the documents were not readily available, the principle of natural justice might require opportunity being given to produce the same; meaning thereby, if declaration is produced with blank columns, then, presumption can be drawn that there is intention of tax evasion. If, for any reason, any document including declaration form ST-18A or ST-18AA is not readily available at the time of inspection, then, according to principle of natural justice, opportunity can be given.

I have considered the facts of the present case. In my opinion, neither of the above circumstances is in existence in the present case because the petitioner authority intercepted and checked the vehicle in question at Ratanpur on 04.01.2000. At that time, notified goods was in transit and obviously declaration form ST-18A or ST-18AA, as the case may be, was to accompany the goods in question. But, in this case, the contingency is that admittedly on 04.01.2000 no declaration form ST-18AA was in existence in favour of the consignee. Admittedly, as per respondent itself, after making all efforts the declaration form ST 18AA was issued on 07.01.2000; meaning thereby, the goods was consigned without any declaration form ST-18AA. The said form was produced along with the reply which is issued on 07.01.2000. In this view of the matter, in my opinion, both the authorities below have committed error while disturbing the finding of the petitioner assessing authority because neither the declaration form was produced at the time of checking nor it was in possession of the consignee on the said date because admittedly the said form was issued on 07.01.2000, subsequent to the date of inspection. Therefore, if the declaration form ST-18AA was not in existence on the date of inspection, then, there was no question of sending goods to the consignee without declaration form. In this view of the matter, therefore, the Deputy Commissioner (Appeals) as well as learned Tax Board committed error while quashing the order passed by the petitioner authority in consonance with the provisions of the Act."

9. प्रस्तुत प्रकरण में भी यह तथ्य विवादित नहीं है कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ निर्दिष्ट घोषणा पत्र वैट 49 विद्यमान नहीं था तथा बाद में प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र विभागीय कार्यालय से दिनांक 31.01.2008 को ही जारी किया गया है, अतः स्पष्ट है कि जांच के समय घोषणा पत्र वैट-49 परिवहनित माल के साथ नहीं पाया गया था तथा प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र जांच के दिन अस्तित्व में ही नहीं था। अतः ऊपर उल्लिखित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2010) 29 VST 10 (Raj) के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण पूर्णतः विधिसम्मत होने से अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
10. प्रत्यर्थी की ओर से जो न्यायिक निर्णय उद्धरित किये गये हैं, उनका सम्मान अध्ययन करने पर पाया जाता है कि उक्त प्रकरणों में परिवहनित माल की जांच तिथि के दिन व्यवहारीगण के पास वांछित घोषणा पत्र मौजूद थे तथा जिन्हें प्रत्युत्तर के साथ पेश कर दिये जाने पर उन्हें स्वीकार योग्य माना गया है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जांच

तिथि को वांछित घोषणा पत्र व्यवहारी के पास विद्यमान नहीं होना प्रमाणित है तथा उक्त घोषणा पत्र विभाग से जांच तिथि के अगले दिन अर्थात् दिनांक 31.01.2008 को जारी करवाया जाना प्रमाणित है, अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ACTO Vs. M/s. Power One Micro Systems (P) Ltd (2010) 29 VST 10 (Raj) में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में सन्दर्भित विभिन्न निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

11. परिणामस्वरूप, अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य